

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आपाक-प्र08/मुक0-01-63/09(खंड)-^{1533 (E)} पटना, दिनांक- 26.4.10
सेवा में,

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना।

मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा।

मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल एवं निरूपण अंचल रा0उ0प0 सहित।


सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित।

विषय:-सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 14831/09 जवाहर लाल एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 4839/09 दीपक मुखर्जी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 19.04.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अलाक में शहरी/घनी आबादी/बाजार वाले भाग में पथ परत अगल-बगल के आवासियों के Plinth से ऊँचा नहीं करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

1. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 14831/09 जवाहर लाल एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 4839/09 दीपक मुखर्जी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 19.04.2010 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के रूप में अधोहस्ताक्षरी एवं नगर विकास विभाग के मुख्य अभियंता को सदेह उपास्थिति (Physical Appearance) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये:

(i) "दिनांक 20 जून 2010 के पूर्व पथ निर्माण विभाग Cold Remixing Recycling/Hot Remixing Recycling के लिए शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले वैसे पथांशों की समेकित सूची तैयार करे, जिसमें पथों के उन्हा/सतह सुधार देय हो गया है।

(ii) पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना एवं अन्य शहरों में जिन पथों में कंक्रीट परत डालकर पथों का ऊँचीकरण करने से अगल-बगल के आवासियों का Plinth नीचा हो जाने



के फलस्वरूप जगहों पर जाने में कठिनाई हो रही है तथा पथ परत का पानी आवासियों के घरों में घुसने की संभावना बन गयी है, उन पथों के किनारे निश्चित रूप से साईड ड्रेन का निर्माण किया जाय तथा आवासियों के पहुँच पथ में पथ के लम्बवत दोनों ओर ड्रेन में पथ परत के स्तर पर स्टील ग्रेटिंग दिया जाय, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पथ परत का पानी किसी भी हालत में आवासियों के घरों में नहीं घुसे " !

2. उपर्युक्त आदेश के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि :-

(i) शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले पथांशों में पथ परत को ऊँचा नहीं किया जाय बल्कि साईड ड्रेन बनाकर पथ परत की जल निकासी सुनिश्चित की जाय। आये दिन देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से जो प्राक्कलन प्राप्त हो रहे हैं उसमें शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले भाग में कंक्रीट पथ के निर्माण का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना होगी। किसी भी हालत में शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पथ परत को किसी भी विधि से ऊँचा नहीं किया जाय । यदि जल निकासी की संभावना नहीं हो तथा कंक्रीट पथ बनाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में पथ परत को आंशिक रूप से उखाड़कर कंक्रीट कार्य कराया जाय जिससे बरसात में आवागमन चालू रहे तथा पथ परत भी ऊँचा न हो । यह बिल्कुल अपरिहार्य स्थिति में होगा । कंक्रीट पथ परत निर्माण को निरुत्साहित किया जाय ।

(ii) यदि शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वर्तमान पथ परत क्षतिग्रस्त हो गया है तो अलकतरायुक्त कार्य से Undulation/Potts को ठीक कर सीधे Mastic asphalt का प्रावधान किया जाय जिससे Riding Surface ठीक हो जाय तथा पथ परत भी न्यूनतम ऊँचा रहे एवं इसके बगल में साईड ड्रेन की व्यवस्था की जाय जो कम-से-कम Out Fall तक जाय ।

(iii) शहरी/बाजार/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ पथ परत ऊँचा हो गया है वैसी जगहों पर साईड ड्रेन बनाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि पथ परत पर पड़ने वाला वर्षा का पानी आवासियों के घरों में नहीं जाय और आवश्यकतानुसार एंगल ड्रेन/ब्रीक




ड्रेन/कंक्रीट ड्रेन ऐसी जगहों पर बनायी जाय तथा आवासियों को आने-जाने के लिए कंक्रीट ड्रेन के साथ-साथ ड्रेन पर पथ परत के स्तर (Level) पर स्टील ग्रेटिंग का निर्माण किया जाय, जिससे की पानी आवासियों के पहुँच पथ से होकर उनके घरों में नहीं जाय । हरेक आवास के परिसर के मुख्य द्वार के साथ फुटपाथ/एंगल ड्रेन में Cut दिया जाय ।

3. "भविष्य में जो भी प्राक्कलन तैयार किया जाय उसमें उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन सृजित किया जाय, अन्यथा प्राक्कलन तैयार करने वाले एवं प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी" ।

4. उपर्युक्त निदेश जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं पर भी लागू रहेगा, जिसका कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।



(रामध्यान राम),

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 1533 (E)

दिनांक- 26.4.10

प्रतिलिपि, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम प्रा० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(रामध्यान राम),

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

ज्ञापांक- 1533 (E)

दिनांक- 26.4.10

प्रतिलिपि, मुख्य महाप्रबंधक, पथ विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(रामध्यान राम),


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

कार्यालय अभियंता का कार्यालय-
राठउपग्र प्रमंडल, मधेपुरा।

ज्ञापांक :- 456

दिनांक - 15/5/10

प्रतिलिपि सहायक अभियंता, राठउपग्र अवर प्रमंडल, मधेपुरा/
मधेपुरा-II/सहायक एवं राठउपग्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


कार्यालय अभियंता
राठउपग्र प्रमंडल
मधेपुरा

The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The second part of the paper focuses on the role of the auditor in verifying the accuracy of these records. The auditor must exercise professional judgment and skepticism throughout the audit process.

In addition, the paper highlights the need for transparency and communication between the management and the auditor. Regular meetings and clear communication can help to identify any potential issues early on and ensure that the audit process is conducted in a fair and unbiased manner.

Finally, the paper concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation of the internal control system. This is a continuous process that requires the attention of management and the auditor alike.